


समस्त राजस्व मण्डल ग्रामीणीयर, राजस्वियर म०प७०



727
B-11.12

R-434-E/12

1. अनसुर्या पत्नी स्व० बद्री प्रसाद चतुर्वेदी
2. रघि शंकर पुत्र स्व० बद्री प्रसाद चतुर्वेदी
3. अजय कुमार पुत्र स्व० बद्री प्रसाद चतुर्वेदी
4. शिल शंकर पुत्र स्व० बद्री प्रसाद चतुर्वेदी
5. दयाशंकर पुत्र स्व० बद्री प्रसाद चतुर्वेदी
6. श्रद्धा पुत्री स्व० बद्री प्रसाद चतुर्वेदी
7. सभी निवासी- ग्राम पाली धाना व तड० पाली जिला उमरिया
म०प७०

निगरा नीकर्तागण

धनाम

1. सनत कुमार चतुर्वेदी
2. मनोज कुमार चतुर्वेदी - दोनों के पिता रामरूदर चतुर्वेदी
3. लालमन चतुर्वेदी पिता बाबूराम चतुर्वेदी
4. मुन्नी बाई बेवा रामकुमार चतुर्वेदी
5. निर्मला पिता रामकुमार चतुर्वेदी
6. उर्मिला पिता रामकुमार चतुर्वेदी
7. विमला पिता रामकुमार चतुर्वेदी
8. ललूराम पिता गणेश राम चतुर्वेदी
9. जगेश्वर पिता गणेश राम चतुर्वेदी
10. ज्ञान बाई बेवा रेखा चतुर्वेदी - सभी निवासी ग्राम पाली धाना व
तड० पाली जिला उमरिया म०प७० --- रेस्पॉगण

निगरा नीकर्ता निर्णय न्यायालय ग्रामपाल
महोदय शहौल दारा पारित आदेश दि०

16.01.2012 जरिये प्रकरण छ०- 510/नी

2008-09 सनत कुमार चतुर्वेदी वैग्रह बद्री
प्रसाद चतुर्वेदी वैग्रह अन्तर्गत धारा- 50
म०प७० भृ. रा. संहिता ।

मान्यपर,

निगरा नीकर्तागण निकरा नी प्रस्तुत कर मिमिलिष्ट निवेदन

करते हैं -

510/नी

1/2/11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग0 4314—दो / 2012

जिला — उमरिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11—2—2016	<p>आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। यह प्रकरण वर्ष 2012 से लंबित है। आवेदक की ओर से सूचना उपरांत लगभग 2 वर्षों से प्रकरण में कोई उपस्थित नहीं हुआ। आज भी आवेदक एवं उनके अभिभाषक को समय—समय पर पुकार लगवाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण के संचालन में रुचि नहीं है। अतः प्रकरण में रुचि न लेने से समाप्त किया जाता है।</p> <p>प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p>  <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	